आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 10/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

9/5/21

भू–दाता गोपाल सिंह, पिता–राम दहीन सिह, ग्राम–लोदीपुर, थाना–अरवल जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
123	1055	04 डी०	उतर–नीज दक्षिण–राम खेलावन सिंह पूरब–नीज पश्चिम–नरायण सिंह

मौजा–लोदीपुर, थाना–अरवल, थाना संख्या–61, अंचल+जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। भूदाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 837 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, अरवल के माध्यम से भूदाता को नोटिस तामिला कराया गया एवं वर्णित भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी अरवल ने कार्यालय पत्रांक 719 दिनांक 21.12.2020 द्वारा अंकित किया गया है कि गोपाल सिंह, पिता रामदहीन सिंह, अरवल अंचल से संबंधित नही है। भूदान दान पत्र में थाना संख्या–61 सोनभद्र वंशी सूर्यपूर अंचल से संबंधित है। अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। भूदाता के तरफ से न्यायालय में कोई उपस्थित नही हुआ और ना ही किसी के द्वारा कोई आपति दाखिल किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर का जॉच प्रतिवेदन तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ–दान पत्र पर भूदाता का हस्ताक्षर अंकित है।

रामचरित्र सिंह एवं अन्य का गवाह में नाम दर्ज है। भूदाता द्वारा वर्णित भूमि दिनांक 28.01.1954 में दान पत्र के माध्यम से दान में दी गई है। अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि मौजा—सरमस्तपुर नेवना, खाता संख्या—123, खेसरा संख्या—1055, रकवा—04 डी० रधुनन्दन सिंह वगैरह लोदीपुर के नाम से खतियान में दर्ज है और कुल रकवा—05 डी० हैं। खतियानी रैयत से भूदाता का संबंध भतीजा का हैं। मिथलेश सिह वगैरह पिता—गोपाल सिंह के नाम से जमाबंदी संख्या—19/1 चल रहा है। जमाबंदी रैयत भूदाता का पुत्र है। वर्णित भूमि वर्तमान में मिथलेश सिंह, पिता—गोपाल सिंह लोदीपुर के दखल कब्जा में है। वर्तमान में वर्णित भूमि पर कब्जाधारी भूदाता का पुत्र है। भूमि का वर्तमान स्वरूप धनहर है। प्रस्तावित भूमि रैयति खाते की है। भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैशेरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्वशान, चिरारी आदि से मुक्त है।

भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) पटना, बिहार का पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में उल्लेखित है कि वैसे दान पत्र जिसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, मौजा एवं रकवा अंकित है वैसे संबंधित मामलों में संपुष्टी की कार्यवाई की जायेगी।

अतः भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) पटना, बिहार का पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 एवं अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में भूदान दान पत्र में वर्णित भूमि को बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा—11 के आलोक में संपुष्ट की जाती है। आदेश की एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद —सह—अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।